



प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
ओडिशा : भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
Odisha: Bhubaneswar

परिपत्र/ Circular

विषय/ Subject: रा.भा.का.स. की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालना से संबंधित।
Regarding in Compliance with the minutes of the OLIC.

दिनांक 19.01.2024 को सम्पन्न हुई दिसंबर 2023 तिमाही से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स.) की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त के सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

Enclosed, please find herewith the minutes of Official Language Implementation Committee (OLIC) meeting for the quarter ending December, 2023 held on 19.01.2024. Further, in this regard, you are requested to take immediate action on all the pointes of the minutes.

हस्ता/-
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)
Sr. Deputy Accountant General (Admn)

ज्ञापन संख्या हि.प्रको./राभाकास/ कार्यवृत्त /11/2022-23/519

दिनांक/ Dated : 25.01.2024

Memo No. Hindi Cell/OLIC/Minutes/11/2022-23

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
- 2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ IV / Personal Asstt. to Sr. DAG, AMG III/ IV
- 3- आशुलिपिक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V/ Steno. to Sr. DAG, Admn./AMG V
- 4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ Personal Asstt. to DAG, AMG II
- 5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ Personal Asstt. to DAG, AMG I
- 6- कल्याण अधिकारी/ Welfare Officer.
- 7- नियंत्रणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -

सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निहित अंतर्वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें।

All the Branch Officers are requested to kindly bring the content of this circular to the notice of all the Officers/ employees working under their control.

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ए.एम.जी.- I/ AMG-I | ए.एम.जी.- II/ AMG-II | ए.एम.जी.-III / AMG-III | ए.एम.जी.-IV / AMG-IV | ए.एम.जी.- V AMG-V | ओ.एम. I एवं II OM-I & OM-II |
| सम्पदा/ Estate | ओ.ई. O.E. | प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam | प्रशासन / Admin. | विधिक/ Legal | रिपोर्ट/ Report |
| रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC | ई.सी.पी.ए. ECPA | सचिवालय/ Secretariat | कल्याण / Welfare | डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC | |

8- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को संलग्नक सहित कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along with its enclosures to our official website.

9- सूचना पट्ट /Notice Board

10- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

Pratibha

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ राजभाषा अनुभाग
Sr. Audit Officer/ Rajbhasha Section

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय
ओडिशा, भुवनेश्वर

वर्ष 2023-24 हेतु दिसंबर 2023 के समाप्त तिमाही पर तृतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति
की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, ओडिशा भुवनेश्वर की वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के लिए तृतीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री राज कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) ओडिशा, भुवनेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 19.01.2024 को अपराह्न 04:30 बजे आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे:

1. श्री सचिन कृष्ण कौशिक, उप महालेखाकार, एएमजी II
2. सुश्री तान्या अम्बष्ठ, उप महालेखाकार, एएमजी I
3. श्री विवेकानंद दास, सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
4. श्री दीपक महान्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय स्थापना
5. श्री आशीष कुमार महान्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी I
6. श्री समीर कुमार पंडा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, प्रशासन और प्रशि. एवं परी. प्रकोष्ठ
7. श्रीमती स्निग्धा महान्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी II
8. श्री आशुतोष प्रसाद प्रतिहारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, ओएम एवं राजभाषा अनुभाग
9. श्री उपेन्द्र नाथ दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी III
10. श्री अशोक कुमार नंद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी IV
11. श्री सुकान्त कुमार मल्ल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, रिपोर्ट एवं ईसीपीए अनुभाग
12. श्री प्रियदर्शन कानूनगो, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी V
13. श्री विक्रमसेन नायक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डीए एवं आरसी प्रकोष्ठ
14. श्री धीमान विश्वास, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, डीए एवं आरसी प्रकोष्ठ
15. श्री पुरुषोत्तम गिरि, वरिष्ठ अनुवादक, राजभाषा अनुभाग
16. श्री राहुल कुमार वर्मा, कनिष्ठ अनुवादक, राजभाषा अनुभाग

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
ODISHA: BHUBANESWAR**

Minutes of the quarterly meeting of the Third Official Language Implementation Committee for the quarter ending December 2023 for the year 2023-24

Third Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Accountant General (Audit I), Odisha, Bhubaneswar for the quarter ending 31-12-2023 of 2023-24 was held on 19.01.2024 at 04:30 PM under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit-I), Odisha. The following members were present in the meeting.

1. Shri Sachin Krishna Kaushik, Deputy Accountant General / AMG- II
2. Miss Tanya Ambshtha, Deputy Accountant General /AMG -I
3. Shri Bibakanand Das, Secretary to PAG (Audit-I)
4. Shri Deepak Mahanti, Senior Audit Officer, Office Establishment
5. Shri Ashish Kumar Mohanty, Senior Audit Officer / AMG-I
6. Shri Sameer Kumar Panda, Senior Audit Officer/ Admn./Trg. & Exam
7. Smt. Snigdha Mohanty, Senior Audit Officer/ AMG II
8. Shri Ashutosh Prasad Pratihari, Sr. A.O./O.M./ Rajbhasha Section
9. Shri Upendra Nath Das, Senior Audit Officer / AMG- III
10. Shri Ashok Kumar Nand, Senior Audit Officer/ AMG IV
11. Shri Sukant Kumar Mall, Senior Audit Officer/ Report & ECPA
12. Shri Priyadarshan Kanungo, Senior Audit Officer/ AMG V
13. Shri Bikramsen Nayak, Assistant Audit Officer/ DA & RC Cell
14. Shri Dhiman Biswas, Senior Auditor/ DA & RC Cell
15. Shri Purushottam Giri, Senior Translator/ Rajbhasha Section
16. Rahul kumar Verma, Jr. Translator/ Rajbhasha Section

वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 19.01.2024 को आयोजित तृतीय
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त


राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई एवं बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

1. वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही (31.12.2023) हेतु प्रधान महालेखाकार महोदय को 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ किए गए पत्राचार के आंकड़ों, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की संख्या एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत जारी पत्रों की संख्या से अवगत कराया गया। विश्लेषण के दौरान पाया गया कि कार्यालय ने पत्राचार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक पत्राचार किया है। साथ ही कार्यालय ने हिंदी टिप्पणी लेखन में भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है।
2. प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा कार्यालय द्वारा "क" 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में पत्राचार एवं टिप्पणी में लक्ष्यों की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने आगामी तिमाहियों में हिंदी पत्राचार एवं हिंदी में टिप्पण लेखन को बढ़ाने पर जोर दिया।
3. प्रधान महालेखाकार महोदय ने अगली तिमाही में कार्यालय के ए.एम.जी III अनुभाग एवं प्रशिक्षण एवं परीक्षा प्रकोष्ठ को हिंदी/ द्विभाषी पत्राचार के संदर्भ में क्रमशः 'क' एवं 'ग' क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के निदेश दिये।
4. प्रधान महालेखाकार महोदय ने अगली तिमाही में कार्यालय के ए.एम.जी IV अनुभाग को हिंदी में टिप्पण लेखन के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य (अर्थात 30%) प्राप्त करने के निदेश दिये।
5. प्रधान महालेखाकार ने डीए एवं आरसी प्रकोष्ठ को निदेशित किया कि हिंदी में टिप्पण लेखन के दौरान अंग्रेजी के कठिन तकनीकी शब्दों को हिंदी (देवनागरी लिपि) में लिप्यंतरण कर टिप्पण लेखन में प्रयोग करें।
6. अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मुख्य रूप से 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में नियमित आधार पर शत-प्रतिशत पत्र हिंदी/द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी करें क्योंकि उक्त क्षेत्रों में पत्राचार सीमित संख्या में किया जाता है।

7. प्रधान महालेखाकार ने डीए एवं आरसी प्रकोष्ठ को निर्देश दिया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को नियमित आधार पर कार्यालय की वेबसाइट पर द्विभाषी रूप (हिंदी और अंग्रेजी) में अपलोड करें।

8. अध्यक्ष महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से समाप्त तिमाही के अगले माह की 20 तारीख तक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। अतः अध्यक्ष महोदय ने निदेशित किया कि सभी अनुभाग/प्रकोष्ठ, प्रत्येक तिमाही के अगले माह की 05 तारीख तक या उससे पूर्व, राजभाषा हिंदी तिमाही प्रतिवेदन, राजभाषा अनुभाग को प्रेषित करें। निर्धारित समयवधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों पर उनके समूह के समूह अधिकारी का अनुमोदन होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।



सचिव/ रा.भा.का.स. एवं

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)


Minutes of the 3rd Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) for the year 2023-24, held on 19.01.2024

The meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) was held under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit-I). The following points were discussed in the meeting.

- 1) The Principal Accountant General was appraised about the number of documents issued under section 3(3) of Official Language Act, 1963 and number of letters issued under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976, corresponding to regions 'A', 'B' & 'C' for the 3rd quarter (31.12.2023) of the year 2023-24. During analysis, it was observed that more correspondence in Hindi has been made by the office in this quarter than the target laid down by the Official Language Department for the regions 'A', 'B' & 'C'. The office has also achieved the target in terms of noting in Hindi in this quarter as well.
- 2) The Principal Accountant General expressed his satisfaction in achieving the targets in terms of correspondence and noting in Hindi for the regions 'A', 'B' & 'C' and also directed to enhance the percentage of correspondence and noting in Hindi for ensuing quarters.
- 3) The Principal Accountant General instructed AMG-III and Training and Exam Cell of this office to achieve the prescribed target in region 'A' & 'C' respectively in terms of correspondences in Hindi/ Bilingual.
- 4) The Principal Accountant General instructed AMG-IV of this office to achieve the prescribed target (i.e. 30%) in terms of Noting in Hindi.
- 5) The Principal Accountant General directed DA and RC Cell to transliterate the difficult technical words of English to Hindi (Devanagari script) for writing notes in Hindi.

- 6) The Chairman directed all the Branch Officers to issue all letters in Hindi/ bilingual (Hindi & English) especially to regions 'B' & 'C' on regular basis as limited numbers of letters are issued to the aforesaid regions.
- 7) The Principal Accountant General instructed DA & RC Cell that documents required to be issued under section 3(3) of Official Language Act, 1963 may be uploaded in bilingual form (Hindi & English) on the official website on regular basis.
- 8) During the meeting, it was brought to the notice of the Chairman that quarterly meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) is mandatory to be held by the 20th of the following month of every quarter on regular basis. In this regard the chairman strictly directed all sections/ cells that Quarterly Report must be submitted to Rajbhasha Section **on or before 05th of the following month** of every quarter. **Further, approval of Group officer of the concerned sections will be required**, in case of delay submission of the report.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.


Secretary/ OLIC

Sr. Deputy Accountant General (Admn)